

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज दिनांक 17-05-2021

अवैध विदेशी मदिरा(नेपाली ब्राण्ड) के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अवैध शराब बिक्री/निषकर्षण पर प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण व कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज के नेतृत्व मे दिनांक 17.05.2021 को प्रातः 06.30 करतहरी तिराहे पर अभियुक्त आकाश सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह मूल पता ग्राम सरपतहा टोला पठनपुरवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अवैध विदेशी मदिरा नेपाली ब्राण्ड की 64 शीशी प्लास्टिक की प्रत्येक 300 एम.एल. व रुचि लिचि नेपाली ब्राण्ड की 16 शीशी प्लास्टिक की प्रत्येक 300 एम.एल. कुल 80 शीशी व एक अदद मोटरसाइकिल लाल कलर की प्लैटिना नंबर UP 53 DP 8103 के साथ गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 157/21 धारा 60,63,72 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय रवाना किया गया ।

नाम पता अभियुक्त

आकाश सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह पता ग्राम सरपतहा टोला पठनपुरवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी –

अवैध विदेशी मदिरा नेपाली ब्राण्ड की 64 शीशी प्लास्टिक की प्रत्येक 300 एम.एल. व रुचि लिचि नेपाली ब्राण्ड की 16 शीशी प्लास्टिक की प्रत्येक 300 एम.एल. कुल 80 शीशी एक अदद मोटरसाइकिल लाल कलर की प्लैटिना नंबर UP 53 DP 8103

धारा जिसमे गिरफ्तारी हुई का विवरण

मु0अ0सं0 157/21 धारा 60,63,72 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तारी दिनांक व स्थान का नाम

17.05.2021 समय 06.30 बजे दिन स्थान करतहरी तिराहे पर कैम्पियरगंज गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टिम

उनि श्री राजेश गुप्ता

हे.का संजीव गुप्ता